भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 340

04 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा आत्महत्या

340. श्री नीरज डांगी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ऋण ग्रस्त किसानों द्वारा आत्महत्याओं को रोकने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऋणग्रस्त किसानों की आत्महत्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में किसानों को अपेक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने में अब तक विफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को सहायता प्रदान करने और उनकी आत्महत्याएं रोकने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) आत्महत्याओं से संबंधित सूचना का संकलन करता है और इसे "भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या" (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में प्रकाशित करता है। एनसीआरबी ने वर्ष 2020 तक की रिपोर्ट को प्रकाशित किया है जो इसके वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके प्रकाशनों में ऋण के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों अर्थात गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, अरहर (अरहर), मूंग, उड़द, चना, मसूर, मूंगफली, तोरिया/सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी के बीज, कुसुम, रामतिल, कपास, जूट और कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान

करता है। इसके अलावा, तोरिया और बिना छिलके वाले नारियल के लिए भी क्रमशः तोरिया/सरसों और कोपरा के एमएसपी के आधार पर एमएसपी निर्धारित किया जाता है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार करता है जिसमें घरेलू और वैश्विक मंडियों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसलन मूल्य समता, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत कीमत शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की प्राप्ति के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। इसी सिद्धांत के अनुरूप, सरकार ने 9 जून, 2021 को वर्ष 2021-22 की सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के लिए तथा 8 सितंबर, 2021 को वर्ष 2021-22 की सभी अधिदेशित रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है।

(घ): सरकार ने कई विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है जो किसानों के लिए उच्चतर आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उच्च बजटीय आवंटन, गैर-बजटीय वित्तीय संसाधनों जैसे सूक्ष्म सिंचाई कोष इत्यादि जैसे कॉर्पस फंड का निर्माण इत्यादि करके इन सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन किया जा रहा है। इस क्षमता को उजागर करने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे आत्मनिर्भर पैकेज (कृषि) के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन। आत्म निर्भर भारत के तहत अवसंरचना के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए 100,000 करोड़ रूपए के आकार से "कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)" सृजित किया गया है। अन्य विशेष पहलों में पीएम-किसान के तहत अनुपूरक आय अंतरण; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); मधुमक्खी पालन; राष्ट्रीय गोकुल मिशन; नीली क्रांति; ब्याज छूट योजना; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जो अब कृषि फसलों आदि के अलावा डेयरी एवं मत्स्य किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है, शामिल हैं। क्रियाकलापों की एक सूची **अनुबंध** पर दी गई है।

रा.स.अता.प्र.सं.340

अनुबंध

किसानों के लाभार्थ शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की सूची

i. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान):** देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नामत: **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** की शुरूआत की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू आवश्यकताओं के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का उद्देश्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को चार माह के अंतराल पर 2000/- रुपये की तीन किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का भुगतान प्रदान करना है।

ii. **प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई):** सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा चक्र प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात **प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)** कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजीविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन 3,000/- रूपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

iii. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**: जोखिम शमन के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नामत: **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** की शुरूआत की गई। यह योजना विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा भुगतान किए गए अपने प्रीमियम शेयर के रूप में लगभग 21450 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था इसके बदले में उन्हें 101875 करोड़ रूपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के प्रत्येक 100 रूपये के लिए उन्हें दावों के रूप में 475 रूपये प्राप्त हुए हैं।

iv. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)**: किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)** को बढ़ाने की मंजूरी दी है।

- सरकार ने वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत की प्राप्ति के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

- धान के लिए एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1310 रूपये प्रति क्विटंल से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में 1868 रूपये प्रति क्विंटन कर दिया गया है जो 43 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।
- गेहूं के लिए एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1400 रूपये प्रति क्विटंल से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में 1975 रूपये प्रति क्विंटन कर दिया गया है।

v. **मृदा स्वास्थ्य कार्ड**: किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम के तहत लगभग 11 करोड़ किसानों को नि:शुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।

vi. **"प्रति बूंद अधिक फसल"** पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। स्कीम के तहत वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के तहत 20.39 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र कवर किया गया है और लगभग 16 लाख किसान लाभांवित हुए। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को 5262.20 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 4,000 करोड़ रूपये (बअ) का आवंटन किया गया है और अभी तक राज्यों को 351.50 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है।

vii. **"परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)"** देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) प्रारंभ की गई थी। पीकेवीवाई स्कीम के तहत दो वर्ष की उपलब्धि-19043 क्लस्टर बनाये गए हैं और 3.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है जिससे 9.52 लाख किसान लाभांवित हुए हैं। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 123620 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

viii. **राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) स्कीम:** किसानों को पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धी ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए **ई-नाम** की शुरूआत की गई है।

- 18 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्र में ई-नाम प्लेटफार्म के साथ 1,000 मंडियां एकीकृत की जा चुकी हैं।
- दिनांक 05.01.2022 के दौरान ई-नाम प्लेटफार्म पर कुल परिमाण 5.27 करोड़ एमटी और 11.68 करोड़ की संख्या (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नीबू, और स्वीट कॉर्न) को मिलाकर लगभग 1.68 लाख करोड़ रूपये के मूल्य का व्यापार रिकार्ड किया गया है। अब तक ई-नाम प्लेटफार्म के साथ 1.72 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत हुए हैं।

ix. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा):** किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई अम्ब्रेला योजना **"प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)"** का अनुमोदन किया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को उन की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

x. **मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस)**: पीएसएस के तहत खरीद में वृद्धि: मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर दलहनों, तिलहनों एवं कोपरा की खरीद में वर्ष 2014-15 से 2021-22 (22.07.2021 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान 167.05 तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 में भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत 16.83 एलएमटी तिलहनों की भी खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत एमएसपी पर लगभग 15.53 एलएमटी दलहनों की भी खरीद की गई है।

xi. **समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)**: मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

xii. **कृषि ऋण प्रवाह**: पर्याप्त ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है, बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 13.50 लाख करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15.00 लाख करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16.50 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

xiii. **ब्याज छूट स्कीम**: किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय, शीघ्र चुकौती करने पर किसानों को प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है।

xiv. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम वर्ष 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरीवश बिक्री से रोकने और पराक्रम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xv. **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)**: सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्रियाकलाप करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा प्रदान की है। केसीसी के नए नवीकरण के लिए सभी प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण, लेजर फोलियो शुल्क और अन्य सभी सेवाओं को माफ कर दिया गया है। लघु अवधि के कृषि-ऋण के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रूपए कर दी गई है। केसीसी पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के बाद 14 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

xvi. किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सहित किसानों और उत्पादकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई मंडी सुधार, कार्यक्रम और नीतियां शुरू की गई हैं।

xvii. **कॉर्पस फंड्स का निर्माण**

क. सूक्ष्म सिंचाई निधि -10,000 करोड़ रुपए

ख. 1 लाख करोड़ रूपए का कृषि-अवसंरचना कोष

xviii. **किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीओ):** 10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीओ) का गठन करना एवं उन्हें बढ़ावा देना।

*****